



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19012022-232763
CG-DL-E-19012022-232763

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272]
No. 272]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 19, 2022/पौष 29, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 19, 2022/PAUSHA 29, 1943

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2022

का.आ. 278 (अ).—केंद्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 8 की उप-धाराओं (2) और (3) के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (1) और (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2119 (अ), तारीख 26 जून, 2020, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के पैरा (7) में, उप-पैरा (3) में, "31 मार्च, 2021" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 मार्च, 2022" अंक और शब्द, रखा जाएगा।

[फा.सं.पीवाई-10024/6/2021-पी और जी-डीसीएमएसएमई]

डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी, अतिरिक्त विकास आयुक्त

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 2119 (अ), तारीख 26 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्या का.आ.1055 (अ) तारीख 5 मार्च, 2021 और 2347 (अ) तारीख 16 जून, 2021 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधित किया गया।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2022

S.O. 278(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (9) of section 7 read with sub-sections (2) and (3) of section 8 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises number S.O. 2119 (E), dated the 26th June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), namely:-

In the said notification, in paragraph (7), in sub-paragraph (3), for the figures and words, “31st day of March, 2021” the figures and words, “31st day of March, 2022” shall be substituted.

[F.No.PY-10024/6/2021-P and G-DCMSME]

Dr. ISHITA GANGULI TRIPATHY, Addl. Development Commissioner.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 2119 (E), dated the 26th June, 2020 and subsequently amended vide numbers 1055(E) dated 5th March, 2021 and 2347(E) dated 16th June, 2021.

